	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	वैशाख 22, बुधवार, शाके 1932–मई 12, 2010 *Vaisakha 22, Wednesday, Saka 1932–May 12, 2010*	

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य–प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 12, 2010

जी.एस.आर. 22.–भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान न्यायिक अधिकारी (चिकित्सा सुविधा) नियम, 2008 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–(1) इन नियमों का नाम राजस्थान न्यायिक अधिकारी (चिकित्सा सुविधा) (संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये 01–01–2006 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. नियम 8 का प्रतिस्थापन.–राजस्थान न्यायिक अधिकारी (चिकित्सा सुविधा) नियम, 2008 के विद्यमान नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

" 8. **अतिरिक्त चिकित्सा भत्ता.**–चिकित्सा प्रतिपूर्ति फायदों के अतिरिक्त चिकित्सा भत्ते के रूप में सेवारत न्यायिक अधिकारी एक हजार रुपये प्रति मास और सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी एक हजार पांच सौ रुपये प्रति मास प्राप्त करने का हकदार होगा।"

[संख्या एफ. 26(12) न्याय/2009]

राज्यपाल के आदेश से,

एस.एस. कोठारी,

प्रमुख विधि सचिव।

LAW AND LEGAL AFFAIRS DEPARTMENT

Notification

Jaipur, May 12, 2010

G.S.R.22.–In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of the India the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Judicial Officers (Medical Facilities) Rules, 2008, namely:-

1. Short title and commencement.–(1) These rules may be called the Rajasthan Judicial Officers (Medical Facilities) (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 01-01-2006.

2. Substitution of rule 8.–The existing rule 8 of the Rajasthan Judicial Officers (Medical Facilities) Rules, 2008 shall be substituted by the following, namely:-

"**8. Additional medical allowance.**-Serving Judicial Officer shall be entitled to receive rupees one thousand per month and Retired Judicial Officer shall be entitled to receive rupees one thousand five hundred per month as medical allowance in addition to the benefits of medical reimbursement."

[No. F. 26(12)Jud./2009]

By Order of the Governor

एस. एस. कोठारी,

Principal Secretary, Law.

Government Central Press, Jaipur.